N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT P.S. (थाना): C.P.S Jaipur Year (वर्ष): 2025

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0116 Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 17/05/2025 18:50 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन): दरमियानी दिन Date From (दिनांक से): 21/02/2025 Date To (दिनांक तक): 16/05/2025

Time Period (समय अवधि): पहर Time From (समय से): 09:40 बजे Time To (समय तक): 13:40 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 17/05/2025 Time (समय): 17:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 001 Date & Time (दिनांक एवं समय) 17/05/2025 18:50:26 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): NORTH, 40 किमी Beat No. (बीट सं.) : NOT APPLICABLE

(b)Address(पता): RAJEEV GANDHI SEVA KENDRA, MANTTOR MUNDAWAR KHERTHAL

(c In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S (थाना का नाम): District(State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** SUSSAN SINGH

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** GHISA RAM

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1967 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	HAAL PATWARI PATWAR HALKA, MANTTOR MUNDAWAR, खैरथल-तिजारा, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	MANTTOR, MUNDAWAR, खैरथल-तिजारा, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	ASHOK KUMAR		पिता:SHREE RAM JAAT	1. HAAL PATWARI PATWAR HALKA,MANTTOR MUNDAWAR,खैरथल-तिजारा, RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये	1000 हजार रुपये रिश्वती राशि बरामद की गई।	1,000.00

10. Total value of property stolen(In Rs/-) (चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 1,000.00

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary) (प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

मुकदमा हालात इस प्रकार है कि दिनांक 21.02.2025 को वक्त करीब 09.40 एएम पर मन सहायक उप निरीक्षक पुलिस नरेन्द्र कुमार के समक्ष एक व्यक्ति ब्यूरों कार्यालय अलवर प्रथम, अलवर पर उपस्थित आया और मन सहायक उप निरीक्षक को बताया कि मैं ट्रेप कार्यवाही करवाना चाहता हूं जिस पर मन सहायक उप निरीक्षक ने राजकार्य से कार्यालय से बाहर गये हुये श्री महेन्द्र कुमार, पुलिस उप अधीक्षक, ए0सी0बी0, अलवर से जरिये मोबाईल पर वार्ता कर परिवादी के बारे में अवगत करवाया गया तो श्री महेन्द्र कुमार, पुलिस उप अधीक्षक, ए0सी0बी0, अलवर द्वारा अग्रिम कार्यवाही हेतु परिवादी से प्रार्थना पत्र प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही के मौखिक आदेश दिये गये। इस पर मन सहायक उप निरीक्षक द्वारा ब्यूरों कार्यालय में उपस्थित उक्त व्यक्ति को अपना परिचय देकर उनसे उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री सुस्सन सिंह उर्फ समशेर सिंह पुत्र श्री घीसा राम, जाति जाट, निवासी मातौर, तहसील मुण्डावर, जिला खैरथल तिजारा होना बताया। तत्पश्चात श्री सुस्सन सिंह उर्फ समशेर सिंह ने एक लिखित प्रार्थना पत्र मन सहायक उप निरीक्षक को प्रस्तुत किया। श्री सुस्सन सिंह उर्फ समशेर सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर परिवादी से दरियाफ्त की गई तो परिवादी श्री सुस्सन सिंह उर्फ समशेर सिंह ने ब्यूरों में प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ताईद करते हुए बताया कि "मेरी भाभी बिरमा देवी पत्नी स्वर्गीय श्री रोहिताष चौधरी का दिनांक 28.07.2023 को स्वर्गवास होने पर मेरे द्वारा उनके बच्चों के नाम विरासत का इन्तकाल खोलने के लिये मृत्यु प्रमाण पत्र व वारिसान के संबंध में सारे कागजात हमारे हल्का पटवारी श्री अशोक को दो तीन दिन पहले दे दिये। पटवारी द्वारा विरासत नहीं खोलने पर मैं दिनांक 20.02.2025 को मिला तो उसने मुझसे कहा कि विरासत का इन्तकाल खुलवाने के पांच हजार रूपये देने पडेंगे मैने पटवारी अशोक को हाथ जोडकर कहा इतने पैसे तो मैं नहीं दे सकता इस पर पटवारी ने मुझे कहा दो हजार रूपये देना मै तुम्हारा इन्तकाल सरपंच से भी पास करवा दुंगा और मुझसे पांच सौ रूपये रिश्वत के ले लिये। मैं हल्का पटवारी मातौर श्री अशोक को दो हजार रूपये रिश्वत नहीं देना चाहता। उसे रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूं। मेरी भाभी का मृत्यु प्रमाण पत्र व मेरे आधार कार्ड की फोटो कॉपी, मेरा फोटो मेरे हस्ताक्षर के साथ पेश कर रहा हू। कृपया कानूनी कार्यवाही करें।" परिवादी ने दरियाफत पर यह भी बताया कि मेरी श्री अशोक, पटवारी से कोई रंजिश या दुश्मनी नही है तथा कोई उधार लेन-देन भी बकाया नही है। परिवादी श्री सुस्सन सिंह उर्फ समशेर सिंह ने यह भी बताया कि उक्त प्रार्थना पत्र स्वयं का हस्तलिखित व उक्त प्रार्थना पत्र पर स्वयं के हस्ताक्षर होना बताया। परिवादी ने दौराने पूछताछ अपनी भाभी बिरमा देवी का मृत्यु प्रमाण पत्र एवं अपनी पहचान स्वरूप अपने आधार कार्ड की छायाप्रति स्वयं द्वारा सत्यापित कर प्रस्तुत किया जिन्हें बाद अवलोकन संलग्न प्रार्थना पत्र किया गया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त प्रार्थना पत्र एवं की गई मजीद पूछताछ से मामला रिश्वत के लेन-देन का पाया जाता है। जिस पर जरिये फोन श्रीमान उप अधीक्षक पुलिस ने मन सहायक उप निरीक्षक को परिवादी के साथ कर्मचारी भेजकर गोपनीय मांग सत्यापन करने तथा परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अपने पास सुरक्षित रखने के निर्देश दिये गये। तत्पश्चात वक्त करीब 11.30 ए.एम पर कार्यालय की अलमारी से विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर निकलवाकर उक्त डिजिटल वाईस रिकार्डर में नया एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB लगाकर परिवादी श्री सुस्सन सिंह उर्फ समशेर सिंह को चलाने व बन्द करने की विधी समझाकर परिवादी के समक्ष श्री रामजीत कानि0 206 को सुपुर्द किया जाकर परिवादी को हिदायत दी गई कि वह श्री अशोक, पटवारी पटवार हल्का मातौर के पास जाकर आरोपी पटवारी से अपने काम के लिये रिश्वत मांग किये जाने के सम्बन्ध में वार्ता करे तथा श्री अशोक पटवारी से हुई वार्ता को ब्यूरों के डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करें साथ ही श्री रामजीत कानि0 206 को परिवादी के साथ रिश्वत मांग सत्यापन हेतु जाने के निर्देश कर हिदायत दी गई की वह रिश्वत मांग सत्यापन हेतु परिवादी श्री सुस्सन सिंह उर्फ समशेर सिंह को ब्यूरों का डिजिटल वाईस रिकार्डर चालू कर सुपुर्द कर परिवादी को रिश्वत मांग सत्यापन हेतु संदिग्ध आरोपी के पास भेजे तथा परिवादी के साथ आसपास रहकर परिवादी व संदिग्ध आरोपी को आपस में वार्ता करते हुये देखे तथा संभव हो तो उक्त के मध्य हुई वार्ता को सुनने का प्रयास करे। कानि0 को यह भी हिदायत दी गई रिश्वत मांग सत्यापन के तथ्यों से मन सहायक उप निरीक्षक को जरिये मोबाईल अवगत करावे। परिवादी व कानि0 को रिश्वत मांग सत्यापन के लिये श्री रामजीत सिंह कानि0 की मोटरसाईकिल से रवाना किया गया। फर्द सुपुर्दगी डिजिटल वॉईस रिकार्डर बाद हस्ताक्षर शामिल रनिंग नोट की गई। तत्पश्चात वक्त करीब 1.30 पी.एम पर रिश्वत मांग सत्यापन हेतु परिवादी के हमराह गया हुआ श्री रामजीत कानि0 206 ने जरिये वाटसएप कॉल मन सहायक उप

निरीक्षक को अवगत करवाया कि परिवादी की आरोपी पटवारी से रिश्वत मांग सत्यापन के संबंध में वार्ता हो गई है जिस पर रामजीत सिंह कानि. ने मन सहायक उप निरीक्षक से परिवादी से वार्ता करवाई गई तो परिवादी श्री सुस्सन सिंह उर्फ समशेर सिंह ने अवगत कराया कि मैं और आपका कर्मचारी ब्यूरों कार्यालय से रवाना होकर पटवार घर, मातौर के नजदीक पहूंचे जहाँ पर श्री रामजीत सिंह ने समय करीब 12.45 पी0एम0 पर ब्यूरों का डिजिटल वाईस रिकार्डर चालू कर मुझे सुपुर्द किया, जिसको अपने साथ लेकर मैं पटवार घर, भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत मातौर के अन्दर पटवारी अशोक के कमरे में गया जहाँ पटवारी उपस्थित नहीं होने पर अन्य व्यक्ति से पूछा की पटवारी साहब आ गये क्या तो उन्होने बताया कि पटवारी साहब नीचे सरपंच कार्यालय में गये हुये है जिस पर मैं सरपंच कार्यालय में गया तो पटवारी श्री अशोक व सरपंच वहा बैठा मिला जिसने मुझे थोडी देर रूकने के लिए कहा इस पर मैं सरपंच कार्यालय से बाहर आकर पटवारी का इंतजार करने लगा कुछ समय बाद पटवारी अशोक सरपंच कार्यालय से बाहर आया और अपने कार्यालय में जाने लगा जिसके पीछे पीछे मैं भी गया और पटवारी के कार्यालय में पहूंच कर पटवारी से मैनें पूर्व में दिये कागजात में से मेरी भाभी बिरमा के मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी के संबंध में बात की लेकिन पटवार कार्यालय में भीड अधिक होने के कारण में मैं मेरी भाभी बिरमा देवी के बच्चों के नाम से विरासत का इन्तकाल खोलने के संबंध में नहीं कह पाया फिर भी पटवारी अशोक ने दो हजार रूपये बतौर रिश्वत की मांग की जिसमें से पांच सौ रूपये मेरे से पहले ही ले चुका है की बातचीत हुई और अब उक्त विरासत के इन्तकाल को राजस्व रिकार्ड में चढाने/खोलने तथा सरपंच से पास करने की एवजं में रिश्वत राशि के बकाया पन्द्रह सौ रूपया प्राप्त करने के लिये सहमत हो गया है। मेरे, एवं संदिग्ध आरोपी श्री अशोक पटवारी के मध्य हुई सभी वार्तालाप को मैंने ब्यूरों के डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिया तत्पश्चात मैं, श्री रामजीत के पास आकर मैंने अपने पास से चालू हालत में ब्यूरो का डिजिटल वाईस रिकार्डर श्री रामजीत को दे दिया और रामजीत ने उक्त डिजिटल वाईस रिकार्डर को बन्द कर सुरक्षित अपने पास रख लिया है। परिवादी द्धारा बताये उक्त तथ्यों की पूछने पर श्री रामजीत द्धारा भी ताईद की गई। तत्पश्चात मन सहायक उप निरीक्षक ने परिवादी को उसकी स्वर्गीय भाभी बिरमा देवी के बच्चों के नाम विरासत का इन्तकाल खोलने के संबंध में काम की वार्ता आरोपी से नहीं की गई है। परिवादी को संदिग्ध आरोपी पटवारी से रिश्वत मांग के समय पर पुनः रिश्वत मांग सत्यापन के लिए कहा तो परिवादी ने कहा साहब आज तो दुबारा जाने पर पटवारी को शक हो जाएंगा आईन्दा में आपके कार्यालय आकर पुनः रिश्वत मांग सत्यापन करवा दुंगा जिस पर परिवादी को गोपनीयता की हिदायत दी गई और पुनः रिश्वत मांग सत्यापन करवाने के लिए कार्यालय आने के लिए कहां गया तथा श्री रामजीत सिंह कानि0 को परिवादी को कस्बा मातौर छोडकर डिजिटल वाईस रिकार्डर को सुरक्षित अपने पास रख कर कार्यालय आने के निर्देष दिये गये। उक्त हालात श्रीमान उप अधीक्षक को जरिये वाट्सअप कॉल निवेदन किये। तत्पश्चात वक्त करीब 3.30 पी.एम रिश्वत मांग सत्यापन हेतु परिवादी के हमराह गया हुआ श्री रामजीत कानि0 206 कार्यालय में उपस्थित आया और अपने पास से कार्यालय का विभागीय डिजीटल टेप रिकॉर्डर निकालकर मन सहायक उप निरीक्षक को सुपुर्द किया गया और बताया कि मैं व परिवादी श्री सुस्सन सिंह उर्फ समशेर सिंह ब्यूरों कार्यालय अलवर से रवाना होकर पटवार घर, मातौर के नजदीक पहूंचे जहाँ पर मैने समय करीब 12.45 पी0एम0 पर ब्यूरों का डिजिटल वाईस रिकार्डर चालू कर परिवादी श्री सुस्सन सिंह उर्फ समशेर सिंह को सुपुर्द किया, जिसको परिवादी अपने साथ लेकर पटवार घर, भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत मातौर के अन्दर चला गया जिस पर मैने निगरानी रखी करीब 25 मिनट बाद परिवादी उक्त पटवार घर/भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत मातौर के भवन से बाहर निकला व मेरें पास आया और चालू हालात में डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मुझे सुपुर्द किया जिसे बन्द कर मैने सुरक्षित मेरे पास रख लिया तथा परिवादी ने बताया मैं पटवार घर, भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत मातौर के अन्दर पटवारी अशोक के कमरे में गया जहाँ पटवारी उपस्थित नहीं होने पर अन्य व्यक्ति से पूछा की पटवारी साहब आ गये क्या तो उन्होने बताया कि पटवारी साहब नीचे सरपंच कार्यालय में गये हुये है जिस पर मैं सरपंच कार्यालय में गया तो पटवारी श्री अशोक व सरपंच वहा बैठा मिला जिसने मुझे थोडी देर रूकने के लिए कहा इस पर मैं सरपंच कार्यालय से बाहर आकर पटवारी का इंतजार करने लगा कुछ समय बाद पटवारी अशोक सरपंच कार्यालय से बाहर आया और अपने कार्यालय में जाने लगा जिसके पीछे पीछे मैं भी गया और पटवारी के कार्यालय में पहूंच कर पटवारी से मैनें पूर्व में दिये कागजात में से मेरी भाभी बिरमा के मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी के संबंध में बात की लेकिन पटवार कार्यालय में भीड अधिक होने के कारण में मैं मेरी भाभी बिरमा देवी के बच्चों के नाम से विरासत का इन्तकाल खोलने के संबंध में नहीं कह पाया फिर भी पटवारी अशोक ने दो हजार रूपये बतौर रिश्वत की मांग की जिसमें से पांच सौ रूपये मेरे से पहले ही ले चुका है के संबंध में और अब उक्त विरासत के इन्तकाल को राजस्व रिकार्ड में चढाने/खोलने तथा सरपंच से पास करने की एवजं में रिश्वत राशी के बकाया पन्द्रह सौ रूपया प्राप्त करने के लिये सहमत हो गया है। मेरे एवं संदिग्ध आरोपी श्री अशोक पटवारी के मध्य हुई सभी वार्तालाप को मैंने ब्यूरों के डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिया। इसके बाद मैनें आपसे जरिये वाट्सअप कॉल कर परिवादी से वार्ता करवाई थी तो परिवादी ने उपरोक्त बात फोन पर आपको बता दी थी। आपके निर्देशानुसार परिवादी को कस्बा मातौर में ही छोडकर डिजिटल वाईस रिकार्डर को सुरक्षित अपने पास रख कर कार्यालय आ गया। तत्पश्चात मन सहायक उप निरीक्षक द्धारा उक्त रिकार्ड वार्ता के रिकार्डशुदा डिजिटल वाईस रिकार्डर को चालू कर सुना जाकर कार्यालय की आलमारी के लॉक में सुरक्षित

रखा गया और उपरोक्त हालात श्री महेन्द्र कुमार, पुलिस उप अधीक्षक को जरिये वाट्सएप कॉल अवगत करवाये गये। फर्द वापसी डिजीटल वॉईस रिकार्डर बाद हस्ताक्षर शामिल रनिंग नोट की गई। तत्पश्चात श्री नरेन्द्र कुमार सहायक उप निरीक्षक, भ्रनिब्यूरों, अलवर प्रथम, अलवर ने परिवादी नाम श्री सुस्सन सिंह उर्फ समशेर सिंह पुत्र श्री घीसा राम, जाति जाट, निवासी मातौर, तहसील मुण्डावर, जिला खैरथल तिजारा द्वारा दिनांक 21.02.25 को ब्यूरों में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय दिनांक 21.02.2025 की कार्यवाही के रनिंग नोट तथा रिश्वत मांग सत्यापन का विभागीय डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मय एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB सहित अग्रिम कार्यवाही हेतु मन उप अधीक्षक पुलिस महेन्द्र कुमार को सुपुर्द किया। सहायक उप निरीक्षक द्वारा सुपुर्द प्रार्थना पत्र एवं रनिंग नोट का अवलोकन किया गया तथा विभागीय डिजीटल टेप रिकॉर्डर में रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को सुना गया तो उक्त वार्ता में आरोपी द्वारा पांच सौ रूपये परिवादी से पूर्व में लेने के कथन तथा पन्द्रह सौ रूपये की रिश्वत मांगने के कथन रिकॉर्ड होना पाये गये लेकिन परिवादी श्री सुस्सन सिंह उर्फ समशेर सिंह व संदिग्ध आरोपी श्री अशोक, पटवारी पटवार हल्का मातौर के मध्य रिश्वत मांग सम्बन्धी वार्तालाप में परिवादी की स्वर्गीय भाभी बिरमा देवी का विरासत का इन्तकाल उनके बच्चों के नाम खोलने/चढाने के कार्य की संबंध में वार्ता नहीं होना पाई गई। तत्पश्चात मन पुलिस उप अधीक्षक द्वारा उक्त वार्ताओं के रिकार्डशुडा डिजिटल वाईस रिकार्डर मय एसडी कार्ड को अपने पास कार्यालय की आलमारी के लॉक में सुरक्षित रखा गया। तत्पश्चात दिनांक 24.02.25 को वक्त करीब 12.40 पी. एम पर श्री रामजीत सिंह कानि. 206 के मोबाईल नं0[redacted]पर परिवादी श्री सुस्सन सिंह उर्फ समशेर सिंह के मोबाईल नं0[redacted] से कॉल आया जिस पर परिवादी से मन पुलिस उप अधीक्षक की वार्ता करवाई गई इस पर मन उप अधीक्षक द्वारा रिश्वत की मांग का पुनः सत्यापन हेतु कहा तो परिवादी ने बताया कि मैं कल दिनांक 25.02.2025 को समय 11.00 एएम पर एसीबी कार्यालय अलवर पर आ जाऊंगा। तत्पश्चात वक्त करीब 5.00 पी.एम पर श्री भीम सिंह कानि. 192 को उपायुक्त, वाणिज्य कर विभाग, अलवर को जरिये पत्र दो सरकारी कर्मचारी ब्यूरों की गोपनीय ट्रेप कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाह हेतु पाबन्द कर अविलम्ब ब्यूरों कार्यालय में लाने हेतु रवाना किया गया। तत्पश्चात श्री भीम सिंह कानि. 192 मय सहायक आयुक्त, वाणिज्यक कर विभाग वृत-स अलवर के पत्रांक 382 दिनांक 24.02.2025 के साथ दो गवाहान को लेकर हाजिर कार्यालय आये। जिस पर मन पुलिस उप अधीक्षक द्वारा दोनों गवाहान से अपना परिचय देकर नाम पता पूछकर कर उक्त दोनों गवाहान को कल दिनांक 25.02.2025 को समय 02.00 पीएम पर आने व गोपनीयता की हिदायत देकर रूखस्त किया गया। तत्पश्चात दिनांक 25.02.25 को वक्त करीब 11.30 ए.एमपर परिवादी श्री सुस्सन सिंह उर्फ समशेर सिंह उपस्थित कार्यालय आया जिस से मन उप अधीक्षक द्वारा परिवादी द्वारा दिनांक 21.02.2025 को दिये गये प्रार्थना पत्र के संबंध में मजिद पूछताछ की गई एवं परिवादी के आधार कार्ड पर सुस्सन सिंह नाम अंकित है जबकि प्रार्थना पत्र में सुस्सन सिंह उर्फ समशेर सिंह लिखने के बारे में पूछताछ की गई तो परिवादी ने बताया कि उनके गांव में कुछ लोग समशेर सिंह के नाम से बुलाते है जबकि वास्तिक रूप से मेरा नाम सुस्सन सिंह है। इस पर उपस्थित परिवादी को पूर्व में मांग सत्यापन वार्ता में परिवादी की स्वर्गीय भाभी बिरमा देवी के बच्चो के नाम से विरासत के इन्तकाल खोलने/चढाने की वार्ता नहीं होने के बारे बताया तो परिवादी ने कहा कि मैं आज दुवारा जाकर आरोपी से रिश्वत मांग का सत्यापन करवा दुंगा । परिवादी को कार्यालय कक्ष में ही बैठाया गया। तत्पश्चात वक्त करीब 1.15 पी.एम पर मन पुलिस उप अधीक्षक द्वारा कार्यालय की अलमारी से विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर निकालकर उक्त डिजिटल वाईस रिकार्डर में पूर्व में लगे एस. डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB के फॉल्डर 01 में दिनांक 21.02.2025 को परिवादी श्री सुस्सन सिंह उर्फ समशेर सिंह व संदिग्ध आरोपी पटवारी अशोक की वार्ता रिकॉर्ड है। उक्त टेप रिकॉर्डर को चलाने व बन्द करने की विधी पुनः समझाकर फॉल्डर 02 में मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्ड करने हेतु परिवादी के समक्ष श्री रामजीत कानि0 206 को जरिये फर्द सुपुर्द किया जाकर परिवादी को हिदायत दी गई कि वह श्री अशोक, पटवारी पटवार हल्का मातौर के पास जाकर आरोपी पटवारी से उसकी स्वर्गीय भाभी बिरमा देवी के बच्चों के नाम विरासत का इन्तकाल चढाने/खोलने के लिए रिश्वत मांग किये जाने के सम्बन्ध में स्पष्ट वार्ता करे तथा श्री अशोक पटवारी से हुई वार्ता को ब्यूरों के डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करें साथ ही श्री रामजीत कानि0 206 को परिवादी के साथ रिश्वत मांग सत्यापन हेतु जाने के निर्देष देकर हिदायत दी गई की वह रिश्वत मांग सत्यापन हेतु परिवादी श्री सुस्सन सिंह उर्फ समशेर सिंह को ब्यूरों का डिजिटल वाईस रिकार्डर चालू कर सुपुर्द कर परिवादी को रिश्वत मांग सत्यापन हेतु संदिग्ध आरोपी के पास भेजे तथा परिवादी के साथ आसपास रहकर परिवादी व संदिग्ध आरोपी को आपस में वार्ता करते हुये देखे तथा संभव हो तो उक्त के मध्य हुई वार्ता को सुनने का प्रयास करे। इसके बाद कानि0 श्री रामजीत को परिवादी के साथ जाने एवं बाद मांग सत्यापन वार्ता होने पर परिवादी को साथ लेकर कार्यालय में उपस्थित आने की मुनासिब हिदायत देकर जरिये मोटरसाईकिल मातोर के लिए समय 01.15 पीएम पर रवाना किया गया। तत्पश्चात वक्त करीब 02 पी.एम पर पूर्व से पाबन्दशुददा गवाहान श्री संजीव मीणा हाल कनिष्ठ वाणिज्य कर अधिकारी कार्यालय सर्किल सी वाणिज्य कर विभाग अलवर व श्री सतीश कुमार गौड हाल कनिष्ठ वाणिज्य कर अधिकारी कार्यालय सर्किल सी वाणिज्य कर विभाग अलवर ब्यूरों कार्यालय में उपस्थित आये। जिन्हे कार्यालय में बैठाया गया है। तत्पश्चात रिश्वत मांग सत्यापन हेतु परिवादी के हमराह गया हुआ श्री रामजीत कानि0 206 मय परिवादी श्री सुस्सन सिंह उर्फ समशेर सिंह कार्यालय में उपस्थित आया जिनको कक्ष में बैठाया गया इसके बाद श्री रामजीत कानि0 ने अपने पास से

कार्यालय का विभागीय डिजीटल टेप रिकॉर्डर निकालकर मन पुलिस उप अधीक्षक को सुपुर्द किया गया जिसे जरिये फर्द वापसी प्राप्त किया गया, इसके बाद श्री रामजीत कानि0 ने परिवादी के समक्ष मन उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि आपके निर्देशानुसार मैं व परिवादी श्री सुस्सन सिंह उर्फ समशेर सिंह ब्यूरों कार्यालय अलवर से रवाना होकर पटवार घर, मातौर के नजदीक पहूंचे जहॉं पर मैने समय करीब 02.10 पी0एम0 पर ब्यूरों का डिजिटल वाईस रिकार्डर चालू कर परिवादी श्री सुस्सन सिंह उर्फ समशेर सिंह को सुपुर्द किया, जिसको परिवादी अपने साथ लेकर पटवार घर, भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत मातौर के अन्दर चला गया जिस पर मैने निगरानी रखी करीब 12 मिनट बाद परिवादी उक्त पटवार घर/भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत मातौर के भवन से बाहर निकला व मेरें पास आया और चालू हालात में डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मुझे सुपुर्द किया जिसे बन्द कर मैने सुरक्षित मेरे पास रख लिया और परिवादी को साथ लेकर कार्यालय आया और टेप रिकॉर्डर आपको सुपुर्द कर दिया इसके बाद उपस्थित परिवादी ने मन पुलिस उप अधीक्षक को बताया मैं रामजीत के साथ आपके कार्यालय से रवाना होकर मातौर पहूंचे जहा पर रामजीत ने मुझे कार्यालय का टेप रिकॉर्डर चालू कर दे दिया, इसके बाद मैं उक्त चालू टेप रिकॉर्डर लेकर पटवार घर, भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत मातौर के अन्दर पटवारी अशोक के कमरे में गया जहॉं पटवारी श्री अशोक उपस्थित मिला जिससे मैनें मेरी स्वर्गीय भाभी बिरमा देवी के बच्चों के नाम से विरासत का इन्तकाल उनके बच्चो के नाम खोलने के संबंध में बातचीत की तो पटवारी अशोक ने मुझसे कहा कि इतनी जल्दी नाम नहीं हटेगा सरपंच की मिटिंग में प्रोसिजर से हो जायेगा। इस पर मैनें उनसे कहा पांच सौ रूपये तो पहले दे दिये है आपको और फिर पांच सौ रूपये और देते हुए मैने पटवारी अशोक से पूछा अब कितने और देने है तो अशोक पटवारी ने मुझसे पांच सौ रूपये लेकर अपनी जेब में रख लिए और मुझसे एक हजार रूपये रिश्वत के और मांगे और मुझसे कहा कि दो चार दिन में तुम्हारी स्वर्गीय भाभी बिरमा देवी के बच्चों के नाम से विरासत का इन्तकाल खोल दिया जायेगा और उक्त सारी वार्ता जो मेरे और श्री अशोक पटवारी के मध्य हुई है को मैंने आपके सरकारी डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिया इसके बाद मैं पटवार घर से बाहर निकलकर चालू टेप रिकॉर्डर रामजीत को दे दिया। रामजीत ने टेप रिकॉर्डर को बन्द कर अपने पास रख लिया जो पांच सौ रूपये का एक नोट आरोपी पटवारी को मेरे द्धारा दिया है उसकी फोटो आपके कर्मचारी ने अपने मोबाईल पर ले ली थी। और इसके बाद हम दोनों मातोर से रवाना होकर कार्यालय में आपके पास आ गये। तत्पश्चात मन पुलिस उप अधीक्षक द्धारा उक्त रिकार्ड वार्ता के रिकार्डशुदा डिजिटल वाईस रिकार्डर को चालू कर सुना गया तो विभागीय डिजीटल टेप रिकॉर्डर के फॉल्डर 02 में परिवादी की स्वर्गीय भाभी बिरमा देवी के बच्चों के नाम से विरासत का इन्तकाल उनके बच्चो के नाम खोलने/चढाने के संबंध में परिवादी से पांच सौ रूपये बतौर रिश्वत पहले प्राप्त करने तथा आज दिनांक 25.02.2025 को वक्त मांग सत्यापन के समय पांच सौ रूपये और प्राप्त करने तथा बकाया एक हजार रूपये रिश्वत राशी मांगने की वार्ता स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड होना पाई गई। मन पुलिस उप अधीक्षक द्धारा उक्त रिकार्ड वार्ता के रिकार्डशुदा डिजिटल वाईस रिकार्डर को बन्द कर कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखा गया। फर्द वापसी डिजीटल वॉईस रिकार्डर बाद हस्ताक्षर शामिल रनिंग नोट की गई। इस समय गवाहान श्री संजीव मीणा हाल कनिष्ठ वाणिज्य कर अधिकारी कार्यालय सर्किल सी वाणिज्य कर विभाग अलवर व श्री सतीष कुमार गौड हाल कनिष्ठ वाणिज्य कर अधिकारी कार्यालय सर्किल सी वाणिज्य कर विभाग अलवर, ब्यूरों कार्यालय में उपस्थित को कार्यालय कक्ष में बुलाकर उक्त दोनों गवाहान का आपसी परिचय कार्यालय में पूर्व से मौजूद परिवादी श्री सुस्सन सिंह उर्फ समशेर सिंह से करवाया गया और ब्यूरो द्धारा की गई अब तक की कार्यवाही के बारे में अवगत कराकर उक्त दोनों गवाहान को परिवादी श्री सुस्सन सिंह उर्फ समशेर सिंह द्धारा ब्यूरो कार्यालय में दिनांक 21.02.2025 को दिये गये प्रार्थना पत्र पढवाया जाकर कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति चाही गई, जिस पर उक्त दोनों गवाहान ने सुन समझकर कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की अपनी-अपनी सहमति प्रदान की तथा परिवादी श्री सुस्सन सिंह उर्फ समशेर सिंह द्धारा ब्यूरो में दिनांक 21.02.2025 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर दोनों गवाहान ने अपने-अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात गवाह श्री संजीव मीणा हाल कनिष्ठ वाणिज्य कर अधिकारी व श्री सतीश कुमार गौड हाल कनिष्ठ वाणिज्य कर अधिकारी एवं परिवादी के समक्ष परिवादी श्री सुस्सन सिंह उर्फ समशेर सिंह एवं संदिग्ध आरोपी श्री अशोक, पटवारी, पटवार हल्का मातौर, तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा के मध्य दिनांक 21.02.2025 व 25.02.2025 को रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान रूबरू हुई वार्तालाप जो विभाग के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में लगे Sandisk 32 GB के मैमोरी कार्ड के फोल्डर 01 व फोल्डर 02 में रिकॉर्डशुदा वार्ता को चलाकर सुनकर कार्यालय की आलमारी मे आज दिनांक 25.02.2025 को सुरक्षित रखा था को कार्यालय की आलमारी से बाहर निकालकर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को विभागीय कम्प्यूटर से जोडकर चालू कर टेबिल स्पीकर की सहायता से रिकॉर्ड वार्तालाप को सुना गया और रिश्वत मांग से संबंधित फोल्डर 01 व 02 में रिकार्डशुदा वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट मेरे निर्देशन में श्री रामजीत सिंह कानि0 206 से टाईप करवाई गई। उपरोक्त रिकॉर्ड वार्ता में परिवादी श्री सुस्सन सिंह उर्फ समशेर सिंह ने अपनी स्वयं व संदिग्ध आरोपी श्री अशोक, पटवारी, पटवार हल्का मातौर, तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा की आवाज की पहचान की गई है। उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप को सम्बन्धित वॉईस क्लिप से मिलान किया गया तथा वार्ता रूपान्तरण को दोनों गवाहान एवं परिवादी श्री सुस्सन सिंह उर्फ समशेर सिंह ने पूर्ण रूपेण सही होना स्वीकार किया। इसके बाद उक्त रिकॉर्ड वार्तालाप की डीवीडी बनाने हेतु चार खाली डीवीडी जिस पर

WRITEX DVD-R DVD-RECORDABLE 120 MIN/4.7 GB 16X अंकित है मंगवाई जाकर चारों को खाली होना सुनिश्चित कर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में डले Sandisk 32 GB मैमोरी कार्ड के फोल्डर 1 व फोल्डर 2 मे रिकॉर्डशुदा वार्तालाप को श्री रामजीत सिंह् कानि. 206 से मन पुलिस उप अधीक्षक द्वारा अपने स्वयं के निर्देषन में उक्त वार्ताओं को कार्यालय के कम्प्यूटर की सहायता से बारी-बारी से चार डीवीडीयों में कॉपी कर तैयार करवाई जाकर, बाद मिलान वार्ता सही होना सुनिश्चित कर चारों डीवीडियों पर क्रमशः मार्क A-1 A-2 A-3 एवं A- 4 अंकित कर फर्द ट्रान्सक्रिप्ट एवं उक्त चारों डीवीडियों पर दोनों गवाहान तथा परिवादी श्री सुस्सन सिंह् उर्फ समशेर सिंह् के हस्ताक्षर करवाकर डीवीडी मार्क A-1 A-2 A-3 को अलग-अलग प्लास्टिक के डीवीडी कवर में रखकर डीवीडी को कवर सहित सफेद कपडे की अलग-अलग थैलीयों में रखकर कपडे की थैली पर भी क्रमशः मार्क A-1 A-2 A-3 अंकित कर सीलचिट चस्पा कर गवाहान एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया तथा डीवीडी मार्क A- 4 को अनशील्ड हालात में अनुसंधान हेतु शामिल पत्रावली किया गया। उक्त प्रकिया से डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मे डले एसडी मैमोरी कार्ड मे रिकॉर्ड शुदा वार्तालाप की जो डीवीडियां बनाई गई हैं उनमे किसी भी प्रकार की छेडछाड व कांट-छांट नही की गई है। सिल्डशुदा डीवीडी मार्क A-1 A-2 A-3 को मालखाना प्रभारी श्री भास्कर हैड कानि. 59 को सुपुर्द कर जमा चौकी मालखाना करवाया गया। तत्पश्चात वक्त करीब 7.05 पी.एम परिवादी श्री सुस्सन सिंह् उर्फ श्री समशेर सिंह् को आरोपी द्वारा मांगी गई रिश्वत राशि एक हजार रूपये के साथ दिनांक 27.02.2025 को कार्यालय उपस्थित आने व गोपनीयता की हिदायत देकर कार्यालय से रूकसत किया गया। तत्पश्चात वक्त करीब 7.10 पी.एम पर गवाहान श्री संजीव मीणा हाल कनिष्ठ वाणिज्य कर अधिकारी कार्यालय सर्किल सी वाणिज्य कर विभाग अलवर व श्री सतीष कुमार गौड हाल कनिष्ठ वाणिज्य कर अधिकारी कार्यालय सर्किल सी वाणिज्य कर विभाग अलवर को जब भी मन उप अधीक्षक द्वारा तलब किया जाये, तब उपस्थित आने की एवं गोपनीयता की मुनासिब हिदायत देकर ब्यूरों कार्यालय से जाय तैनाती रूकसत किया गया। तत्पश्चात दिनांक 27.2.25 को वक्त करीब 9.54 एएम पर श्री रामजीत सिंह् कानि. 206 के मोबाईल नं0 [redacted] पर परिवादी श्री सुस्सन सिंह् उर्फ समशेर सिंह् के मोबाईल नं0 [redacted] से कॉल आया जिस पर परिवादी से मन पुलिस उप अधीक्षक की वार्ता करवाई गई इस पर मन उप अधीक्षक द्वारा परिवादी से ट्रेप राशि सहित कार्यालय उपस्थित आने के लिए कहा तो परिवादी ने अवगत करवाया कि मैनें पटवार घर पर जानकारी की तो पटवारी अशोक की डयूटी कैम्प में ग्राम बहरोज में लगी हुई है इसलिए आज मेरा आना उचित नहीं रहेगा मैं आईन्दा जिस दिन पटवारी अशोक पटवार घर मातोर पर उपस्थित रहेगा उस दिन ट्रेप राशि सहित आपके कार्यालय में उपस्थित आ जाउंगा। तत्पश्चात दिनांक 14.05.2025 को वक्त करीब 2.30 पीएम पर परिवादी श्री सुस्सन सिंह् मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष उपिस्थत आया और अवगत करवाया कि आरोपी अशोक पटवारी आज पटवार घर मातौर पर ही उपस्थित रहने की सम्भावना है तथा मैं आरोपी पटवारी को रिश्वत में दी जाने वाली राशी एक हजार रूपये में साथ लेकर आया हूं। जिन्हे कार्यालय कक्ष में बैठाया गया। इस समय श्री भीम सिंह् कानि. 192 को उपायुक्त, वाणिज्य कर विभाग, अलवर को जरिये पत्र दो सरकारी कर्मचारी ब्यूरों की गोपनीय ट्रेप कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाह हेतु पाबन्द कर अविलम्ब ब्यूरों कार्यालय में लाने हेतु रवाना किया गया। इस समय श्री भीम सिंह् कानि. 192 कार्यालय आयुक्त, राज्य कर विभाग अलवर से दो गवाहान को लेकर हाजिर कार्यालय आये। जिस पर मन पुलिस अधीक्षक द्वारा दोनों गवाहान से अपना परिचय देकर नाम पता पूछकर उक्त दोनों गवाहान को परिवादी श्री सुस्सन सिंह् से परिचय कराया जाकर, परिवादी द्वारा ब्यूरो कार्यालय में अब तक करवाई गई कार्यवाही के बारे में अवगत कराकर उक्त दोनों गवाहान को परिवादी श्री सुस्सन सिंह् द्वारा ब्यूरो कार्यालय में दिनांक 21.02.2025 को दिये गये प्रार्थना पत्र पढवाया जाकर कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति चाही गई, जिस पर उक्त दोनों गवाहान ने सुन समझकर कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की अपनी-अपनी सहमति प्रदान की तथा परिवादी श्री सुस्सन सिंह् द्वारा ब्यूरो में दिनांक 21.02.2025 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर दोनों गवाहान ने अपने-अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात वक्त करीब 3.30 पीएम पर गवाह श्री सोनू मीना व श्री सतीष कुमार गौड के समक्ष मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी श्री सुस्सन सिंह् को आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशी 1,000/-रूपये पेश करने की कही तो परिवादी ने 500-500 रूपये भारतीय चलन मुद्रा के दो नो कुल 1,000/-रूपये अपने पास से निकालकर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पेष किये। उपरोक्त पेष शुदा नोटो को गवाहान व परिवादी को दिखाया जाकर मिलान दोनो गवाहान से करवाया गया। उपरोक्त रिश्वत राशी मुताबिक रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता अनुसार संदिग्ध आरोपी को दी जानी है, उक्त प्रचलित भारतीय मुद्रा के 500-500 रूपये के 02 नोटो पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने हेतु श्री नरेश कुमार शर्मा, सहायक प्रषासनिक अधिकारी को कार्यालय कक्ष मे बुलाया जाकर कार्यालय की आलमारी के अन्दर से फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीषी निकलवाई जाकर श्री नरेश कुमार शर्मा से एक साफ अखबार कार्यालय की टेबिल पर बिछाकर उस अखबार के उपर फिनोफ्थलीन पाऊडर निकालकर सभी नोटो पर भलिभांति लगवाया गया, तत्पश्चात परिवादी श्री सुस्सन सिंह् की जामा तलाशी गवाह श्री सोनू मीना से लिवायी गयी तो परिवादी के पास कोई भी दस्तावेज/राशि/वस्तु नही रहने दी गयी। केवल उसका मोबाईल एवं स्वयं का पहचान पत्र ही रहने दिया गया, इसके बाद श्री नरेश कुमार शर्मा, से फिनोफ्थलीन पाऊडर लगे हुये भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 02 नोटो कुल 1000/- रूपये परिवादी के पहने हुये पायजामा के बगल की दाहिनी जेब में श्री नरेश कुमार शर्मा से रखवाये

गये तथा परिवादी को समझाईस की गई की अब वह इन पाउड युक्त नोटो को अनावश्यक रूप से हाथ नही लगावे और आरोपी के मांगने पर ही अपने पास से रिश्वत राशी निकालकर आरोपी को देवे तथा आरोपी द्वारा उक्त नोटो को प्राप्त करके कहा पर रखता है इसका पूरा पूरा ध्यान रखे तथा कोई बहाना बनाकर अपने सिर पर दो बार हाथ फेरकर अथवा मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल फोन से मिसकॉल/मैसेज कर मुझे या ट्रेप पार्टी के सदस्यो को ईशारा करे साथ ही दोनो स्वतंत्र गवाहान को भी हिदायत दी गई की वे जहां तक सम्भव हो सके परिवादी व आरोपी के बीच में होने वाली रिश्वत के लेनदेन को देखने तथा उनके मध्य होने वाली वार्तालाप को सुनने का प्रयास करे साथ ही समस्त ट्रेप पाटी सदस्यों को भी आवश्यक हिदायत दी गई। इसके बाद श्री नरेश कुमार शर्मा, से फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी कार्यालय की आलमारी में वापस रखवायी गयी तथा जिस अखबार पर नोटों को रख कर फिनोफ्थलीन पॉउडर लगाया गया था, उस अखबार को जला कर नष्ट करवाया। उसके पश्चात एक नये प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास में श्री भास्कर हैड कानि0 से साफ पानी मंगवाया जाकर उसमें सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया जाकर उक्त घोल में श्री नरेश कुमार शर्मा,की फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त हाथ की अगुलियो को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया जिस पर परिवादी सुस्सन सिंह उर्फ समशेर सिंह दोनों गवाहान को समझाया गया कि यदि आरोपी उक्त पाऊडर लगे नोटां को छुयेगा तो उसके हाथां में फिनोफ्थलीन पाऊडर लग जावेगा और इसी प्रकार तैयार किये गये घोल में उसके हाथ धुलवाने पर धौवन का रंग गुलाबी या हल्का गुलाबी हो जायेगा जिससे यह साबित होगा कि उसने रिश्वत राशि को अपने हाथां से प्राप्त किया है। इसके बाद उक्त गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिंकवाया गया तथा डिस्पोजल गिलास को जलवाकर नष्ट करवाया गया। तत्पश्चात श्री नरेश कुमार शर्मा, के दोनों हाथों को साबुन एवं साफ पानी से धुलवाये गये। इसके बाद परिवादी, गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये, मैनें भी अपने हाथ साफ पानी व साबुन से धोये तथा ट्रेप कार्यवाही में उपयोग में आने वाली शीशीया मय ढक्कन, गिलास, चम्मच आदि को को साबुन व साफ पानी से धुलवाया गया तथा ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया तथा परिवादी को छोडकर ट्रेप पार्टी के सदस्यों की आपस में जामा तलाषी लिवाई गई, तो विभागीय परिचय पत्र एवं मोबाईल के अलावा कोई भी वस्तु/दस्तावेज नही छोडे गये। तत्पश्चात परिवादी को रिश्वत राशी लेन देन के वक्त आरोपी से होने वाली वार्तालाप को रिकॉर्ड करने हेतु ब्यूरों के विभागीय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मय दिनांक 21.02.2025 व 25.02.2025 को हुई रिश्वत माँग सत्यापन की रिकॉर्ड शुदा वार्तालाप के माईक्रो एस.डी. कार्ड Sandisk 32 GB सहित परिवादी की पहने हुये कुर्ते की सामने की बायी तरफ वाली जेब में रखवाया गया। श्री रामजीत कानि. को आवश्यक हिदायत दी गई कि उक्त परिवादी को रिश्वत राशी सहित आरोपी के पास भिजवाते समय उसको ब्यूरों का विभागीय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को चालूकर के ही रवाना करे। उपरोक्त जरिये फर्द पेशकशी एंव सुपुर्दगी नोट पूर्ण की गई फर्द पर सम्बधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल कार्यवाही की गई। तत्पश्चात वक्त करीब 4.00 पीएम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय परिवारी श्री सुस्सन सिंह मय दोनों स्वतन्त्र गवाह श्री सोनू मीना व श्री सतीष कुमार गौड व एवं ए0सी0बी0 स्टाफ सदस्य सर्व श्री नरेन्द्र कुमार सहायक उप निरीक्षक, श्रीमती सुनीता हैड कानि0 148, भास्कर हैड कानि0 59, सुण्डाराम हैड कानि0 02, भीमसिंह कानि. 192, रामजीत सिंह कानि. 206 मय ट्रैप बॉक्स मय सरकारी लैपटॉप व प्रिन्टर एवं अन्य साजो सामान के साथ एक प्राइवेट वाहन व एक सरकारी वाहन बोलेरो मय चालक महेशचन्द के साथ एसीबी कार्यालय अलवर से वास्ते करने ट्रैप कार्यवाही बजानिब मातौर के लिये रवाना हुआ तथा श्री नरेश कुमार शर्मा, सहायक प्रषासनिक अधिकारी को कार्यालय में मुनासिब हिदायत के साथ छोडा गया।वक्त करीब 4.45 पी.एम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान, परिवादी एवं हमराहीयान स्टाफ सदस्यों के उपरोक्त फिकरा का रवाना शुदा भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत मातौर के सामने स्कूल के पास पंहुचे, जहां पर वाहनों को बाहर सडक की साईड वाली जगह पर खडा करवाकर परिवादी को कार के अन्दर ही डिजिटल टेप रिकॉर्ड श्री रामजीत कानि. से चालू करवाकर सुपुर्द करवाया गया और परिवादी को मूनासिब हिदायत कर उसके कार्य के लिए संदिग्ध आरोपी श्री अशोक पटवारी से वार्ता करने व रिश्वती राशी देने हेतु पटवार घर भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत मातौर के लिए रवाना किया गया तथा मन् अतिरिक्त पुसिल अधीक्षक व बाकी स्टाफ सदस्य भी वाहनों से नीचे उतरकर पटवार घर भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत मातौर के बाहर व अन्दर खडे होकर अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुये परिवादी के ईशारे का इन्तजार करने लगे। इस समय गवाहान के समक्ष परिवादी श्री सुस्सन सिंह पुत्र श्री घीसा राम, जाति जाट, निवासी मातौर, तहसील मुण्डावर, जिला खैरथल तिजारा रिश्वत राशी देने का निर्धारित ईशारा किये बिना पटवार घर भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत मातौर से बाहर निकलकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास आया और परिवादी ने पूर्व मे सुपुर्दशुदा विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को अपने पास से निकालकर मुझे सुपुर्द किया जिसे मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा रिकॉर्डर को बंद कर अपने पास सुरक्षित रख लिया। इसके बाद परिवादी ने मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को दोनों गवाहान व ट्रेप पार्टी के समक्ष बताया कि मैं आपके निर्देशानुसार पटवार हल्का मातौर के पटवारी श्री अशोक के पास पटवार घर भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत मातौर के अन्दर गया तो पटवार कक्ष का ताला लगा हुआ मिला। जिस पर मैनें भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत मातौर के अन्दर उपस्थित व्यक्तियों से पटवारी अशोक के बारे पूछा तो उन्होनें बताया कि पटवारी आज आया तो था लेकिन

कुछ समय पहले वो यहा से चला गया। जिस पर मैं आपके पास रिश्वत राशी देने का निर्धारित ईशारा किये बिना ही वापस आ गया और परिवादी ने कहा कि साहब मुझे मेरे घर पर जरूरी कार्य है इसलिए मैं अब आपके साथ एसीबी कार्यालय अलवर नहीं चल सकता। आप दिनांक 16.05.2025 को करीब 12-1 बजे आ जाना पटवारी अशोक उसी समय कार्यालय आते है मैं दिनांक 16.05.2025 को आपके कार्यालय नहीं आ पाऊंगा मैं आपको कस्बा मातौर ही मिल जाऊंगा। तत्पश्चात श्री भास्कर हैड कानि. 59 से ट्रेप बॉक्स में से एक लिफाफा निकलवाकर परिवादी के पहने हुये पायजामा के बगल की दाहिनी जेब से रिश्वती राशी को श्री भास्कर हैड कानि. से निकलवाकर लिफाफा में उन्ही के पास सुरक्षित रखवाई गई। तत्पश्चात वक्त करीब 5.16 पी.एम पर परिवादी श्री सुस्सन सिंह को बाद मुनासिब हिदायत कस्बा मातौर से अपने घर रवाना किया तथा मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय ए0सी0बी0 स्टाफ सदस्य श्री नरेन्द्र कुमार सहायक उप निरीक्षक, श्रीमती सुनीता हैड कानि0 148 भास्कर हैड कानि0 59, सुण्डाराम हैड कानि0 02, श्री रामजीत सिंह कानि.206, श्री भीमसिंह कानि. 192, दोनो गवाहान श्री सोनू मीना व श्री सतीष कुमार गौड मय ट्रेप बॉक्स लैपटॉप, प्रिन्टर अलवर व साजो सामान के कस्बा मातौर से हमराह साथ लाये एक प्राईवेट वाहन व एक सरकारी वाहन बोलेरो मय चालाक महेशचन्द के एसीबी कार्यालय अलवर रवाना हुआ। वक्त करीब 5.05 पीएम पर उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय ए0सी0बी0 स्टाफ सदस्य श्री नरेन्द्र कुमार सहायक उप निरीक्षक, श्रीमती सुनीता हैड कानि0 148 भास्कर हैड कानि0 59, सुण्डाराम हैड कानि0 02, श्री रामजीत सिंह कानि.206, श्री भीमसिंह कानि. 192, दोनो गवाहान श्री सोनू मीना व श्री सतीष कुमार गौड मय ट्रेप बॉक्स लैपटॉप, प्रिन्टर अलवर व साजो सामान के एसीबी कार्यालय अलवर पहूंचा। ट्रेप बॉक्स लैपटॉप, प्रिन्टर अलवर व साजो सामान को गाडी से उतरवाकर कार्यालय में रखवाया गया। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास रखे विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को माईक्रो एस.डी. कार्ड Sandisk 32 GB सहित अपने पास से निकालकर कार्यालय का आलमारी में सुरक्षित रखा गया तथा श्री भास्कर हैड कानि0 से रिश्वती राशी का लिफाफा निकलवाकर कार्यालय की दूसरी आलमारी में सुरक्षित रखा गया। तत्पश्चात वक्त करीब गवाहान श्री सोनू मीना हाल वरिष्ठ सहायक कार्यालय वाणिज्य कर अधिकारी कार्यालय सर्किल ए वाणिज्य कर विभाग अलवर व श्री सतीष कुमार गौड हाल कनिष्ठ वाणिज्य कर अधिकारी कार्यालय सर्किल सी वाणिज्य कर विभाग अलवर को दिनांक 16.05.2025 को समय 11.00 एएम पर कार्यालय में उपस्थित आने की एवं गोपनीयता की मुनासिब हिदायत देकर ब्यूरों कार्यालय से रूकसत किया गया। तत्पश्चात दिनांक 16.05.2025 को वक्त करीब 11.00 पी.एम पूर्व से पाबन्द शुदा गवाह श्री सोनू मीना हाल वरिष्ठ सहायक कार्यालय वाणिज्य कर अधिकारी कार्यालय सर्किल ए वाणिज्य कर विभाग अलवर व श्री सतीष कुमार गौड हाल कनिष्ठ वाणिज्य कर अधिकारी कार्यालय सर्किल सी वाणिज्य कर विभाग अलवर हाजिर कार्यालय आये जिन्हे कार्यालय कक्ष में बैठाया गया। वक्त करीब 12.00 पी.एम पर दोनो गवाहान के समक्ष कार्यालय की आलमारी से विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को माईक्रो एस.डी. कार्ड Sandisk 32 GB सहित जिसमें रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 21.02.2025 व 25.02.2025 वार्ता रिकॉर्ड है को निकलवाकर अपने पास सुरक्षित रखा गया व दिनांक 14.05.2025 को कार्यालय की आलमारी में रखवाई गई रिश्वती राशि को श्री भास्कर हैड कानि0 से रिश्वती राशी का लिफाफा निकलवाकर पूर्व में दिनांक 14.05.2025 को बनाई गई फर्द पेशकशी एंव सुपुर्दगी नोट से गवाहान से नोटों के नम्बरों का मिलान करवाकर लिफाफा में रखवाकर श्री कपिल सोमवंशी, कनिष्ठ सहायक के पास उनकी पहनी हुई शर्ट की सामने की जेब में सुरक्षित रखा गया। इसके बाद श्री कपिल सोमवंशी, कनिष्ठ सहायक, गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये, मैनें भी अपने हाथ साफ पानी व साबुन से धोये तथा ट्रेप कार्यवाही में उपयोग में आने वाली शीशीया मय ढक्कन, गिलास, चम्मच आदि को को साबुन व साफ पानी से धुलवाया गया तथा ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया तथा परिवादी को छोडकर ट्रेप पार्टी के सदस्यों की आपस में जामा तलाषी लिवाई गई, तो विभागीय परिचय पत्र एवं मोबाईल के अलावा कोई भी वस्तु/दस्तावेज नही छोडे गये। इस समय मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनों स्वतन्त्र गवाह श्री सोनू मीना व श्री सतीष कुमार गौड व एवं ए0सी0बी0 स्टाफ सदस्य सर्व श्री नरेन्द्र कुमार सहायक उप निरीक्षक, श्रीमती सुनीता हैड कानि0 148, भास्कर हैड कानि0 59, सुण्डाराम हैड कानि0 02, रामजीत सिंह कानि. 206, नरेश कुमार शर्मा, सहायक प्रषासनिक अधिकारी, कपिल सोमवंशी कनिष्ठ सहायक मय ट्रैप बॉक्स मय सरकारी लैपटॉप व प्रिन्टर एवं अन्य साजो सामान, ट्रेप राशी के साथ में लिया जाकर कार्यालय हाजा पर ताला लगाया जाकर चाबी श्री कपिल सोमवंशी को सुपुर्द कर जरिये एक प्राइवेट वाहन व एक सरकारी वाहन बोलेरो मय चालक महेशचन्द के साथ एसीबी कार्यालय अलवर से वास्ते करने ट्रैप कार्यवाही बजानिब मातौर के लिये रवाना हुआ। तत्पश्चात वक्त करीब 1.20 पी.एम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान, परिवादी एवं हमराहीयान स्टाफ सदस्यों के उपरोक्त फिकरा का रवाना शुदा कस्बा मातौर के पास पहूंचा जहा पहले से इन्तजार कर रहा परिवादी श्री सुस्सन सिंह उपस्थित मिला। वाहनों को साईड में खडा करवाकर उपरोक्त मौतबीरान के समक्ष मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने उपस्थित परिवादी सुस्सन सिंह पुत्र श्री घीसाराम जाति जाट उम्र 47 साल निवासी ग्राम मातौर तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा को आरोपी श्री अशोक, पटवारी, पटवार हल्का मातौर, तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा को रिश्वत में दी जाने वाली राशि जो दिनांक 14.05.2025 को दोनो गवाहान के समक्ष परिवादी से प्राप्त कर श्री भास्कर हैड कानि. के पास सुरक्षित रखवाई गई तथा दिनांक 14.05.2025 को एसीबी

कार्यालय अलवर पहुंचने उक्त रिश्वत राशी को लिफाफे सहीत ही कार्यालय के आलमारी मे सुरक्षित रखवाया गया को आज दिनांक 16.05.2025 को दोनो गवाहान के समक्ष लिफाफे सहीत ही कार्यालय की आलमारी से निकलवाया जाकर श्री कपील कनिष्ठ सहायक के पास सुरक्षित रखवाई गई राशी के लिफाफे को श्री कपील कनिष्ठ सहायक से उसकी जेब से निकलवाया जाकर उक्त लिफाफे में रखी 500-500 रूपये के दो नोटो का बाहर निकलवाकर दोनो नोटो को उपर निचे करवाकर दोनो गवाहान को पढने की दूरी से दिखाया जाकर नोटो के नम्बर पढाये गये। तत्पश्चात परिवादी श्री सुस्सन सिंह की जामा तलाशी गवाह श्री सोनु से लिवायी गयी तो परिवादी के पास कोई भी दस्तावेज/राशि/वस्तु नही रहने दी गयी। केवल उसका मोबाईल एवं स्वयं का पहचान पत्र ही रहने दिया गया, इसके बाद श्री कपील कनिष्ठ सहाय, से फिनोफ्थलीन पाऊडर लगे हुये भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 02 नोटो कुल 1000/- रूपये परिवादी के पहने हुये कुर्ते के बगल की दाहिनी जेब में रखवाये गये। इसके बाद उक्त लिफाफे को वापिस श्री कपील कनिष्ठ सहायक की जेब में मुनासिफ हिदायत के साथ रखवाया गया। तत्पश्चात सरकारी वाहन में साथ लोने पानी व साबुन से हाथ धुलवाये गये व मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपने हाथ साबुन व पानी से धोये। तत्पश्चात श्री कपील कनिष्ठ सहायक को कस्बा मातौर से कार्यालय एसीबी चौकी अलवर प्रथम के लिये रवाना किया गया। तत्पश्चात श्री रामजीत कानि. को विभागीय डिजिटल रिकॉर्डर मय एसडी कार्ड के सुपुर्द कर परिवादी को रिकॉर्डर चालु कर सुपुर्द करने हेतु सुपुर्द किया जाकर विभागीय डिजिटल रिकॉर्डर को श्री रामजीत सिंह कानि. से चालू करवाकर कर परिवादी के पहने हुये कुर्ते की सामने की बायीं जेब में रखवाया गया और परिवादी को मुनासिब हिदायत कर उसके कार्य के लिए संदिग्ध आरोपी श्री अशोक पटवारी से वार्ता करने व रिश्वती राशी देने हेतु पटवार घर भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत मातौर के लिए रवाना किया गया तथा मन् अतिरिक्त पुसिल अधीक्षक व बाकी स्टाफ सदस्य भी पटवार घर भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत मातौर के बाहर व अन्दर खडे होकर अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुये परिवादी के ईशारे का इन्तजार करने लगे। इस समय परिवादी श्री सुस्सन सिंह ने भारत निर्माण, राजीव गांधी सेवा केन्द्र के प्रथम तल पर बने पटवार घर के मुख्य दरवाजे के बाहर जीने पर आकर समय 1.40 पीएम पर आरोपी द्धारा रिश्वत राशि प्राप्त करने का निर्धारित ईशारा किया जिसको मन् अतिरिक्त पुलस अधीक्षक, दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं टीम के समस्त सदस्यो द्धारा देखा गया। परिवादी का उक्त निर्धारित ईशारा प्राप्त होने पर मन् अतिरिक्त पुलस अधीक्षक उपरोक्त दोनो मौतविरान एवं ब्यूरो टीम के समस्त सदस्यो को हमराह लेकर परिवादी के पास उपरोक्त प्रथम तल पर बने पटवार घर के मुख्य दरवाजे के बाहर जीने के पास पहुंचा, ट्रेप पार्टी के पहूचने पर परिवादी से पूर्व मे सुपुर्दशुदा विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्धारा प्राप्त कर रिकॉर्डर को बंद कर अपने पास सुरक्षित रख लिया। इससे बाद परिवादी ने दोनो गवाहान एवं ट्रेप पार्टी सदस्यो के सामने मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया की आपके निर्देशानुसार मै पटवारी श्री अशोक कुमार के पास पटवार घर मातौर पर आया तो पटवारी श्री अशोक कुमार पटवार घर के हॉल में ही कुर्सी टेबिल पर बैठकर कार्य करते हुये मिले तो जिनसे मैने नमस्कार कर उनको साईड में बुलाकर बातचीत की तो मैने उनसे पूछा की इन्तकाल के कितने बच गये तो कहा की हजार तो इस पर मैने अपने कुर्ते की पहनी हुई बगल की दाई जेब से पाउडर युक्त रिश्वत राशी निकालकर उससे कहा की ये लो इस पर उन्होने अपने दाहिने हाथ से रिश्वत राशी 1000/-रूपये लेकर उसी हाथ से नोटो को हाथ में ही फैलाकर देखकर अपनी पहनी हुई पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब में रख लिये है। इसके बाद मैने पटवारी से पूछा की एक नम्बर रह गया है तो पटवारी ने कहा कौनसा नम्बर रहा है, ये तो आपको ऑन लाईन करते वक्त ही ध्यान रखना चाहिये था। इसके बाद मैने पटवार घर के मुख्य दरवाजे के पास जीने पर आकर प्रथम तल से ही आपको निर्धारित ईशारा कर दिया और अब भी पटवारी अन्दर ही हॉल मे बैठा है। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमाराहीयान दोनो गवाहान के परिवादी को साथ लेकर परिवादी के बताये अनुसार प्रथम तल पर बने हुये पटवार घर में प्रवेश किया तो सामने हॉल में ही टेबिल कुर्सी लगाकर कुर्सी पर बैठे हुये व्यक्ति की तरफ परिवादी ने ईशारा कर बताया की यह श्री अशोक कुमार पटवारी है जिसने मेरे से मेरी भाभी बिरमा देवी पत्नी स्वर्गीय श्री रोहिताष चौधरी का दिनांक 28.07.2023 को स्वर्गवास होने पर मेरी भाभी के बच्चों के नाम विरासत का इन्तकाल खोलने के नाम पर 1000/- रूपये की रिश्वत राशि मांग कर अपने दाहिने हाथ से ग्रहण कर उनको अपनी पहनी हुई पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब में रख लिये और पटवारी से मेरे काम के संबंध में बातचीत के बाद मैने आपको रिश्वत राशी ग्रहण करने का ईशारा कर दिया। जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कुर्सी पर बैठे व्यक्ति को अपना एवं हमाराहियान का परिचय देकर उनका नाम पता पूछा और अपने आने के मन्तव्य से अवगत कराया तो आरोपी कुछ नही बोला और चुप बैठ गया। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्धारा उक्त व्यक्ति को तसल्ली देकर उससे उसका नाम पता पूछा तो उसने घबराते हुये अपना नाम पता श्री अशोक कुमार पुत्र श्रीराम जाति जाट उम्र 47 वर्ष निवासी ग्राम रानौठ, तहसील मुण्डावर, जिला खैरथल तिजारा हाल आबाद धौलीधूब पुरानी चूगी के सामने, रेलवे लाईन के पास राठ नगर अलवर, हाल पटवारी, पटवार हल्का मातौर, तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा होना बताया। ब्यूरो मुख्यालय के निर्देशानुसार आरोपी श्री अशोक कुमार पटवारी के अलवर निवास की खाना तलाशी करवाई जानी है इसके लिए श्री परमेश्वर लाल उप अधीक्षक पुलिस को आरोपी के अलवर निवास /आवास की खाना तलाशी लेने हेतु निर्देष दिये गये। इसके बाद आरोपी श्री अशोक कुमार पटवारी को परिवादी श्री सुस्सन सिंह से मांगी गई एवं आज अभी ली गई रिश्वत

राशि के बारे में पूछा तो आरोपी पटवारी ने बताया कि मेरे पास सुस्सन की भाभी बिरमा देवी का विरासत इन्तकाल का कार्य पैण्डिग नही है और मैने सुस्सन से ना तो कोई रिश्वत की मांग की और ना ही रिश्वत राशि ली है। इस पर मौके पर ही उपस्थित परिवादी श्री सुस्सन सिंह ने दोना गवाहान व ट्रेप पार्टी के सदस्यो के समक्ष मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि पटवारी साहब झूठ बोल रहे है, मै दिनांक 21.02.2025 को मै पटवारी साहब के पास आया और मेरी स्व. भाभी बिरमा देवी के मृत्यू प्रमाण पत्र की फोटो कोपी लेने तथा विरासत के इन्तकाल के संबंध में बातचीत की इसके बाद मै इनसे दिनांक 25.02.2025 को पटवारी साहब से दुबारा मिला और मेरी स्व. भाभी बिरमा देवी के बच्चो के नाम विरासत के इन्तकाल खोलने के बारे मे बातचीत की तो पटवारी साहब ने मुझे कहा की इतनी जल्दी नाम नही हटेगा, सरपंच की मिटीग में प्रोसिजर से हो जायेगा। तब इन्होने मुझसे 500 रूपये प्राप्त किये थे और 500 रूपय जो पूर्व में लिये थे उनकी भी बातचीत की थी तथा 1000/- रूपये रिश्वत की और मांग की थी। उसी मांग के अनुक्रम में आज पटवारी साहब ने मुझसे 1000/-रूपये रिश्वत के अपने दाहिने से प्राप्त कर अपने दाहिने हाथ से ही अपनी पहनी हुई पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब में रख लिये। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने आरोपी अशोक कुमार पटवारी से पुनः पूछा तो कुछ नही बोला और चुप हो गया। इस पर गवाह श्री सतीष कुमार गौड, से आरोपी श्री अशोक कुमार पटवारी की तलाषी लिवाई गई तो गवाह श्री सतीष कुमार गौड ने आरोपी के बदन पर पहनी हुई पेन्ट की पीछे दाहिने जेब में कुछ नोट 500-500 के होना बताया। जिनको गवाह से बाहर निकलवाया जाकर दोनो गवाहान से गिनवाये गये तो 500-500/-रूपये के 02 नोट कुल 1,000/-रूपये पाये गये। नोटो के नम्बरो का विवरण फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट में अंकित नम्बरो से मिलान करवाया तो नम्बर हुबहु पाये गये। उक्त नोटो को गवाह श्री सतीश कुमार गौड के पास सुरक्षित रखवाये गये। इसके बाद मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्धारा आरोपी श्री अशोक कुमार पटवारी से पूछा अभी थोडी देर पहले आपसे परिवादी सुस्सन सिंह से प्राप्त की गई रिश्वत राशी के बारे में पूछा तो आपने रिश्वत राशी नही लेना बताया और अभी आपके बदन पर पहनी हुई पीछे की दाहिने जेब से 1000/- रूपये की रिश्वत राशी प्राप्त हुई है, इस पर आप का क्या कहना तो आरोपी पटवारी गर्दन नीचे करके इधर उधर देखने लगा और कुछ नही बोला। तत्पश्चात ट्रेप बाक्स से दो पारदर्शी डिस्पोजल गिलास निकलवाकर पटवार घर में एक प्लास्टिक की पानी की रखी बोतल को श्री सुण्डाराम कानि0 से मंगवाकर दोनो गिलासों को पानी से साफ करवाकर दोनो गिलासो में पानी भरवाकर एक-एक चम्मच सोडियम कार्बानेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग रंगहीन रहा। एक गिलास के घोल में आरोपी श्री अशोक कुमार पटवारी, के दाहिने हाथ की उंगली व अंगुठे को डुबोकर धुलवाया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया। जिसे दो साफ कॉच की शीशियों में आधा- आधा भरवाकर शीशियों पर चिट चस्पा कर सील मोहर कर चिट चस्पा व कपडे पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क R-1 व R-2 अंकित कर वास्ते वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। दुसरे गिलास के घोल में आरोपी श्री अशोक कुमार पटवारी के बाये हाथ की उंगली व अंगुठे को डूबोकर धुलवाया तो घोल का रंग गदमैला हो गया। जिसे भी दो साफ कॉच की शीषियों में आधा- आधा भरवाकर शीषियों पर चिट चस्पा कर सील मोहर कर चिट चस्पा व कपडे पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क L-1 व L-2 अंकित कर वास्ते वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री अशोक कुमार पटवारी की पेन्ट शिष्टाचार पूर्वक उतरवाई जाकर बाजार से नया लोवर मंगवाकर पहनने को दिया गया। उक्त पेन्ट में एक काले रंग का पर्स मिला उक्त पर्स को दोनो गवाहान से चैक करवाया गया तो पर्स के अन्दर आरोपी श्री अशोक पटवारी का एक ड्राईविग लाईसेंस की फोटो काफी नम्बर एमएच 31 20070039104 एवं आधार कार्ड नम्बर 823287531508 व 3300/- रूपये की राशी रखी होना पाई गई। आरोपी की उक्त पेन्ट की बगल वाली बाई जेब से एक ऑपो कम्पनी का मोबाईल मॉडल के 12 एक्स 5 जी वर्जन सीपीएच 2667 उक्त मोबाईल के बैक साईड पर ईएमईआई-[redacted]व ईएमईआई-[redacted] का स्टीकर चिपका हुआ है जिसमें स्लोट नम्बर 1 एयरटेल कम्पनी सिम जिसके मोबाईल [redacted] एवं स्लोट नम्बर 2 पर सीम लगी होना नही पाई गई। आरोपी के पर्स की तलाशी में मिले 3300/- रूपये के बारे में पूछने पर खर्चे के लिये घर से लाना बताया आरोपी का उक्त कथन सन्तोषजनक पाये जाने पर तथा बरामद शुदा मोबाईल की प्रकरण में कोई आवश्यकता नही होने से आरोपी के परिजनो के आने पर लौटाया जाने हेतु गवाह श्री सोनु मीना के पास पास सुरक्षित रखवाया गया। इसके बाद आरोपी अशोक कुमार पटवारी की पहनी हुई पेन्ट की पीछे की दाहिने जेब में जहां रिश्वत की राशी लेकर रखी थी को एक पारदर्शी डिस्पोजल गिलास ट्रेप बॉक्स से निकलवाकर उसे पानी से साफ करवाकर उसमें पटवार घर में भरी हुई बोतल से पानी भरवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट डलवाकर श्री सुण्डाराम कानि. से घोल तैयार करवाया गया उक्त घोल रंगहीन रहा, उक्त घोल में आरोपी अशोक कुमार पटवारी के बदन से उतरवाई हुई पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब को उल्टा करके डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे भी दो साफ कांच की शीशियों में आधा आधा भरवाकर शीशियों पर चिट चस्पा कर सील मोहर कर चिट चस्पा व कपडे पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क P-1 व P-2 अंकित कर वास्ते वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात गवाह श्री सतीष कुमार गौड के पास सुरक्षित रखी रिष्वति राशी जो आरोपित की पहनी हुई पेन्ट की पिछे की दाहिनी से बरामद हुई थी, को दोनो स्वतंत्र गवाहान से गिनवाया तो 500-500 रूपये की 02 नोट कुल 1000/-रूपये है।. उक्त नोटो के नम्बरों का मिलान पूर्व में बनाई गई फर्द पेशकशी से दोनो गवाहान से पुनः करवाने पर नम्बर हूबहू पाये गये। उक्त कार्यवाही की विडियो ग्राफी श्री भास्कर मुख्य

आरक्षक 59 से उनके मोबाईल में 32 जी.बी.सैनडिक्स कम्पनी एस.डी कार्ड लगवाई जाकर करवाई गई। जिसकी प्रथक से फर्द विडियों ग्राफी एवं डीवीडी व फर्द जप्ती एसडी कार्ड तैयार की जावेगी। बरामद शुदा भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 02 नोट कुल एक हजार रूपये की रिश्वत राशी को एक पीले रंग के कागज के लिफाफे मे रखवाया जाकर उक्त लिफाफे पर परिवादी व दोनो गवाहान व आरोपी श्री अशोक कुमार पटवारी, के हस्ताक्षर करवाया जाकर तथा लिफाफे को सील्ड मोहर कर मार्क TM अंकित कर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। आरोपी श्री अशोक कुमार पटवारी से परिवादी श्री सुस्सन सिंह की स्व. भाभी बिरमा देवी के वारीसान की जमीन के इन्तकाल से संबंधित कागजात/ पत्रावली आदि रिकॉर्ड के बारे में पूछा तो आरोपी ने बताया की इन्तकाल की सारी प्रक्रिया ऑन लाईन रहती है। श्री सुस्सन सिंह द्वारा उक्त विरासत के इन्तकाल के लिये ई-मित्र से ऑन लाईन करने पर पटवारी मातौर की आई.डी पर आवेदन प्राप्त होने पर मेरे द्वारा उक्त आवेदन की जांच कर बाद जांच सही पाये जाने पर दिनांक 26.02.2025 को ग्राम पंचायत/सरपंच की आई.डी पर स्वीकार करने हेतु फारवर्ड कर दिया गया था, जिसका ऑन लाईन प्राप्त हो सकता है। उक्त रिकॉर्ड बाबत् पृथक से पत्र जारी कर प्राप्त किया जाकर शामिल कार्यवाही किया जावेगा। इसके बाद मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री सुस्सन सिंह से प्राप्त शुदा डिजिटल वाईस रिकॉडर को दोनों गवाहान व परिवादी की मौजूदगी में चालू कर ईयरफोन की मदद से सुना गया तो डिजिटल वाईस रिकॉडर में परिवादी व आरोपी के मध्य रिश्वत लेन-देन के समय की मोबाईल व रूबरू वार्ता रिकार्ड होना पाई गई। इस समय दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री सुस्सन सिंह से आरोपी श्री अशोक कुमार, पटवारी पटवार हल्का मातौर तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा द्वारा 1000/-रूपये रिश्वत माँगने पर परिवादी द्वारा निर्धारित ईशारा मिलने पर बरामदी रिश्वती राशी एवं हाथ धुलाई की कार्यवाही शुरु की गई थी कार्यवाही के दौरान श्री भास्कर हैड कानि. के मोबाईल में नया एसडी कार्ड Sandisk 32 GB डालकर श्री भास्कर हैड कानि. से वीडियोग्राफी तैयार करवाई गई थी। उक्त मोबाईल से मेमोरी कार्ड निकालकर मेमोरी कार्ड को लैपटॉप मे कनेक्ट कर करवाई गई वीडियोग्राफी को लैपटॉप मे सेव करवाया गया करवाई गई वीडियो ग्राफी की तीन पेन ड्राईव 16 जीबी के बारी बारी तैयार करवाये गये। पेन ड्राईव को लैपटॉप मे सेव वीडियोग्राफी से मिलान किया गया तो मेमोरी कार्ड में हुई वीडियोग्राफी का मिलान होना पाया गया। पेनड्राईव को पृथक पृथक प्लास्टिक के कबर मे रखकर पेनड्राईव को पृथक पृथक सफेद कपडे की थैली मे रखकर मार्क क्रमषः V-1, V-2 अंकित कर पेन ड्राईव मार्क V-1, V-2 को सील मोहर कर कपडे की थैली पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। पेन ड्राईव मार्क V-3 को अनुसंधान हेतु खुली अवस्था मे रखा गया। उक्त विडियो क्लिप के मूल एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB को सुरक्षित हालात मे यथावत उक्त मोबाईल फोन से निकाल कर उसे एक सफेद कागज की चिट जिस पर सभी संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर उस, एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB के साथ एक खाली माचिस की डिब्बी मे सुरक्षित रखा गया एवं उक्त माचिस की डिब्बी को एक सफेद कपडे की थैली मे सुरक्षित हालात मे रखकर थैली को सीलचिट कर उस पर मार्क SD-1 अंकित कर वजह सबूत कब्जे ए0सी0बी0 लिया गया।उक्त प्रक्रिया से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड शुदा वार्ताओं की जो डीवीडी बनाई गई है उनमें किसी भी प्रकार की छेडछाड एवं कांट-छांट नही की गई। इस समय श्री अमर सिंह, भू-अभिलेख निरीक्षक तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा ने उपस्थित होकर अपने कार्यालय पत्रांक 447 दिनांक 16.05.2025 से आरोपी का सेवा विवरण एवं आरोपी श्री अशोक कुमार पटवारी,पटवार हल्का मातौर तहसली मुण्डावर, जिला खैरथल- तिजारा की गई ट्रेप कार्यवाही में परिवादी सुस्सन सिंह की भाभी बिरमा देवी के वारीसान के विरासत के इन्तकाल से संख्या 345 दिनाक 21.02.2025 की 01 लगायत 03 को श्री मुकेश कुमार गोयल नायब तहसीलदार तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा द्वारा प्रमाणित शुदा प्रति पेश की पेश रिकॉर्ड अनुसार परिवादी स्व. भाभी श्रीमती बिरमा देवी का उसके वारिसान के इन्तकाल का हल्का पटवारी मातौर आरोपी श्री अशोक कुमार द्वारा दिनांक 26.02.2025 को ऑन लाईन जांच कर इन्तकाल स्वीकार करने हेतु सरपंच को फॉरवर्ड किया गया। सरपंच श्रीमती कृष्णा देवी, ग्राम पंचायत मातौर द्वारा उक्त विरासत के इन्तकाल को दिनांक 06.05.2025 को स्वीकार किया गया। उक्त रिकॉर्ड की प्रमाणित फोटो प्रतियों की कार्यवाही मे आवश्यकता होने से प्रमाणित फोटो प्रतियों पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर वजह सबूत कब्जे एसीबी लिया गया। तत्पश्चात वक्त करीब 5.50 पी.एम पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष तथा आरोपी श्री अशोक कुमार पटवारी, पटवार हल्का मातौर व श्री अमर सिंह, भू अभिलेख निरीक्षक की उपस्थिति में भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत मातौर के प्रथम तल पर आरोपी पटवारी श्री अशोक कुमार, पटवारी, पटवार हल्का मातौर तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा के कार्यालय कक्ष की तलाशी जरिये फर्द खाना तलाशी ली गई। इस समय दोनों स्वतन्त्र के समक्ष परिवादी श्री सुस्सन सिंह की निशांदेही से घटना स्थल का नक्सा मौका एवं हालात मौका मुर्तिब कर बाद हस्ताक्षर सम्बन्धित के शामिल कार्यवाही किया गया। वक्त करीब 6.55 पी.एम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय ए0सी0बी0 स्टाफ सदस्य श्री नरेन्द्र कुमार सहायक उप निरीक्षक, श्रीमती सुनीता हैड कानि0 148 भास्कर हैड कानि0 59, सुण्डाराम हैड कानि0 02, श्री रामजीत सिंह कानि. 206, श्री नरेश कुमार शर्मा सहायक प्रशासनिक अधिकारी व दोनो गवाहान मय परिवदी एवं जप्तशुदा आर्टिक्लस मय ट्रेप बॉक्स लैपटॉप, प्रिन्टर, मय जप्त की गई रिश्वत राशी के तथा आरोपी श्री अशोक कुमार पुत्र श्रीराम जाति जाट उम्र 47 साल निवासी ग्राम रानौठ, तहसील मुण्डावर, जिला खैरथल तिजारा हाल आबाद धौलीधूब पुरानी चुंगी के

सामने, रेलवे लाईन के पास राठ नगर अलवर हाल पटवारी, पटवार हल्का मातौर, तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा को साथ लेकर हमराह साथ लाये वाहनों से पटवार घर भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत मातौर से एसीबी चौकी अलवर रवाना हुआ। वक्त करीब 7.55 पी.एम. पर उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय ए0सी0बी0 स्टाफ सदस्य श्री नरेन्द्र कुमार सहायक उप निरीक्षक, श्रीमती सुनीता हैड कानि0 148 भास्कर हैड कानि0 59, सुण्डाराम हैड कानि0 02, श्री रामजीत सिंह कानि. 206, श्री नरेश कुमार शर्मा सहायक प्रशासनिक अधिकारी व दोनो गवाहान मय परिवदी एवं जप्तशुदा आर्टिक्लस मय ट्रेप बॉक्स लैपटॉप, प्रिन्टर, मय जप्त की गई रिश्वत राशी के तथा साथ लाये आरोपी श्री अशोक कुमार, पटवारी, पटवार हल्का मातौर, तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा के एसीबी चौकी अलवर पहूंचा। तत्पश्चात वक्त करीब 8.00 पी.एम पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने गवाहान के समक्ष एवं परिवादी की मौजुदगी में आरोपी श्री अशोक कुमार पुत्र श्रीराम जाति जाट उम्र 47 साल निवासी ग्राम रानौठ, तहसील मुण्डावर, जिला खैरथल तिजारा हाल आबाद धौलीधूब पुरानी चुंगी के सामने, रेलवे लाईन के पास राठ नगर अलवर हाल पटवारी, पटवार हल्का मातौर, तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा को हस्बकायदा जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। तत्पश्चात वक्त करीब 8.40 पी.एम पर गवाह श्री सोनू मीना हाल कनिष्ठ वाणिज्य कर अधिकारी व श्री सतीष कुमार गौड हाल कनिष्ठ वाणिज्य कर अधिकारी कार्यालय सर्किल सी वाणिज्य कर विभाग अलवर एवं परिवादी श्री सुस्सन सिंह के समक्ष परिवादी एवं आरोपी श्री अशोक कुमार, पटवारी पटवार हल्का मातौर तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा के मध्य दिनांक 16.05.2025 को रिश्वत लेन-देन के समय हुई रूबरू वार्ता के रिकार्डशुदा डिजिटल वाईस रिकार्ड को विभागीय कम्प्यूटर में जोडकर चालूकर उक्त में रिकार्डशुदा उक्त वार्ता की ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई। उपरोक्त वार्ताओं में परिवादी श्री सुस्सन सिंह द्धारा अपनी आवाज व आरोपी श्री अशोक कुमार, पटवारी पटवार हल्का मातौर तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा की आवाज की पहचान की गई। उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप की परिवादी के बतायेनुसार हिन्दी रूपान्तरण किया गया तथा उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप की संबंधित वॉईस क्लिपों से मिलान किया गया तथा वार्ता रूपान्तरण को दोनो गवाहान तथा परिवादी ने सही होना स्वीकार किया। उक्त वार्तालाप की डीवीडी बनाने हेतु चार खाली डीवीडी जिस पर WRITEX DVD-R DVD-RECORDABLE 120 MIN/4.7 GB 16X अंकित है मंगवाई जाकर चारों को खाली होना सुनिश्चित कर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में डले सनडिस्क 32 जीबी मैमोरी कार्ड के फोल्डर 4 मे रिकॉर्डशुदा वार्तालाप को श्री रामजीत सिंह कानि. नं. 206 से मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में उक्त वार्ताओं को कार्यालय के कम्प्यूटर की सहायता से बारी-बारी से चार डीवीडी में तैयार करवाई जाकर, बाद मिलान सही होना सुनिश्चित कर क्रमशः चारों डीवीडियों पर मार्क B1 B2 B3 एवं B4 अंकित कर फर्द ट्रान्सक्रिप्ट एवं उक्त चारों डीवीडियों पर दोनों गवाहान तथा परिवादी श्री सुस्सन सिंह उर्फ समशेर सिंह के हस्ताक्षर करवाकर डीवीडी मार्क B1 B2 B3 को अलग-अलग प्लास्टिक के डीवीडी कवर में रखकर डीवीडी को कवर सहित सफेद कपडे की अलग-अलग थैलीयों में रखकर कपडे की थैली पर भी क्रमशः मार्क B1 B2 B3 (B3 मुल्जिम प्रति) अंकित कर सीलचिट चस्पा कर गवाहान एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया तथा डीवीडी मार्क B4 को अनशील्ड हालात में अनुसंधान हेतु शामिल पत्रावली किया गया। उक्त एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB को जिसमें वक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 21.02.2025 व 25.02.2025 एवं रिश्वत लेन देन वार्ता दिनांक 16.05.2025 रिकॉर्ड है को सुरक्षित हालात मे यथावत उक्त वॉइस रिकार्डर से निकाल कर उसे एक सफेद कागज की चिट जिस पर सभी संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर उसे एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB के साथ एक खाली माचिस की डिब्बी मे सुरक्षित रखा गया एवं उक्त माचिस की डिब्बी को एक सफेद कपडे की थैली मे सुरक्षित हालात मे रखकर थैली को सीलचिट कर उस पर मार्क S अंकित कर वजह सबूत कब्जे ए0सी0बी0 लिया गया। उक्त प्रकिया से डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मे डले एसडी मैमोरी कार्ड मे रिकॉर्ड शुदा वार्तालाप की जो डीवीडियां बनाई गई हैं उनमे किसी भी प्रकार की छेडछाड व कांट-छांट नही की गई है। इस समय ट्रेप कार्यवाही मे वजह सबूत को शील्ड करने एवं फर्दात आदि पर नमूना सील अंकित करने के प्रयुक्त मे ली गई पीतल की नमूना ब्रास सील नम्बर 60 को श्री सुण्डाराम हैड कानि 02 जरिये तुडवाकर नष्ट कराया जाकर फर्द नष्टीकरण तैयार कर संबंधितो के हस्ताक्षकर करवाकर षामिल कार्यवाही की गई। ट्रेप कार्यवाही दिनांक 16.05.2025 में जप्त/शिल्ड माल वजह सबूत समस्त को मालाखाना प्रभारी श्री भास्कर हैड कानि. 59 को सुरक्षित हालात में मालखाना में जमा कराने हेतु दुरूस्त हालत मे सम्भलाया गया।

अब तक सम्पन्न की गई कार्यवाही एवं मौके के हालात से आरोपी श्री अशोक कुमार पुत्र श्रीराम जाति जाट उम्र 47 वर्ष निवासी ग्राम रानौठ, तहसील मुण्डावर, जिला खैरथल तिजारा हाल आबाद धौलीधूब पुरानी चूगी के सामने, रेलवे लाईन के पास राठ नगर अलवर, हाल पटवारी, पटवार हल्का मातौर, तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा द्धारा बैहसियत लोक सेवक कार्यरत रहते हुये अपनी पदीय स्थिति का दुरूपयोग कर अपने लोक कर्त्तव्यों के निर्वहन मे भ्रष्टतम आचरण अपनाकर परिवादी श्री सुस्सन सिंह से दिनांक 21.02.2025 व 25.02.2025 को रिश्वत की माँग के सत्यापन के दौरान परिवादी श्री सुस्सन सिंह से उसकी स्व. भाभी बिरमा देवी पत्नी स्वर्गीय श्री रोहिताश चौधरी का दिनांक 28.07.2023 को स्वर्गवास होने पर परिवादी से उनकी भाभी के बच्चों के नाम विरासत का इन्तकाल खोलने/विरासत का इन्तकाल राजस्व रिकार्ड में चढाने

के एवजं में दिनांक 25.02.2025 को दौरान रिश्वत मांग सत्यापन के समय परिवादी से 500/-रूपये की रिश्वत राशी प्राप्त करना तथा 1000/- रूपये की रिश्वत राशी की मांग करना एवं उक्त मांग के अनुसरण में आज दिनांक 16.05.2025 को परिवादी से पटवार घर भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत मातौर के प्रथम तल पर हॉल में 1000/- रूपये की रिश्वत राशी प्राप्त करते हुये मय रिश्वत राशी रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। अतः श्री अशोक कुमार पुत्र श्रीराम जाति जाट उम्र 47 वर्ष निवासी ग्राम रानौठ, तहसील मुण्डावर, जिला खैरथल तिजारा हाल आबाद धौलीधूब पुरानी चूगी के सामने, रेलवे लाईन के पास राठ नगर अलवर, हाल पटवारी, पटवार हल्का मातौर, तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा का उक्त कृत्य अपराध अर्न्तगत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) में प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। अतः आरोपी के विरूद्ध उपरोक्त धारा में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, जयपुर को प्रेषित है। (महेन्द्र कुमार) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रनिब्यूरो, अलवर, ...कार्यवाही पुलिस.................प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री महेन्द्र कुमार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अलवर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री अशोक कुमार पुत्र श्रीराम जाति जाट उम्र 47 वर्ष निवासी ग्राम रानौठ, तहसील मुण्डावर, जिला खैरथल तिजारा हाल आबाद धौलीधूब पुरानी चूगी के सामने, रेलवे लाईन के पास राठ नगर अलवर, हाल पटवारी, पटवार हल्का मातौर, तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा के विरुद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री परमेश्वर लाल उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भिवाड़ी को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम रपट संख्या 320 पर अंकित है (डॉ.प्यारे लाल शिवरान) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर। क्रमांक 680-83 दिनांक 17.05.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम अलवर, 2. उप महानिरीक्षक पुलिस भ्रनिब्यूरो जयपुर-चतुर्थ, 3.जिला कलक्टर खैरथल तिजारा, 4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रनिब्यूरो अलवर। पुलिस अधीक्षक प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** PARAMESHWAR LAL YADAV **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pyare Lal Shivran
Location: Rajasthan,IN
Date: 17/05/2025 18:

15. Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): DR PYARE LAL SHIVRAN
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

N.C.R.B/एन.सी.आर.बी

I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	08/06/1978				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)